सत्यमेव जयते

भारत सरकार
और
मिस्र - अरब गणराज्य सरकार के बीच
हवाई सेवा करार

भारत सरकार और मिस्र - अरब गणराज्य सरकार जिन्हें एतत्पश्चात् "संविदाकारी पक्ष के कहा गया है ,

जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के संबंधित पक्ष हैं ,

और जो नागर विमानन के क्षेत्र में अपने-अपने आपसी संबंधों को बढ़ावा देने और अपने-अपने संबंधित राज्यक्षेत्रों के बीच तथा उनसे परे हवाई सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजन के लिए एक करार को अन्तिम रूप देना चाहते हैं ,

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद - 1
परिभाषा

जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस करार के प्रयोजन के लिए,

§क§ "वैमानिकी प्राधिकारी" पद का आशय भारत के मामले में नागर विमानन महानिदेशक तथा मिस्र - अरब गणराज्य के मामले में नागर विमानन मंत्री/मिस्री नागर विमानन प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा दोनों के मामलों में, किसी भी ऐसे प्राधिकारी से है, जिसे उक्त प्राधिकारियों द्वारा इस समय किए जा रहे कार्यों को करने के लिए सांविधिक रूप से प्राधिकृत किया गया हो,

§ख§ "समस्त कार्गो विमान सेवा" पद का आशय ऐसे विमान द्वारा निष्पादित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा से है जिसमें कार्गो या डाक§अनुषंगी परिचरों सहित§ का वहन अलग से या संयुक्त रूप से किया गया हो,

§ग§ "क्षमता" पद का आशय :-

§1§ किसी विमान के संदर्भ में किसी भी मार्ग पर या उस मार्ग के किसी भी खण्ड पर उपलब्ध उस विमान के पेलोड,

§2§ किसी विनिर्दिष्ट विमान सेवा के सन्दर्भ में, किसी मार्ग पर या किसी मार्ग के खण्ड पर दी गई अवधि में ऐसी सेवा में प्रयुक्त विमान द्वारा प्रचालित आवृत्ति द्वारा गुणित ऐसे विमान की क्षमता से है।

§घ§ "अभिसमय" पद का आशय 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है और इसमें उक्त अभिसमय के अनुच्छेद-90 के अन्तर्गत स्वीकृत कोई भी अनुबंध तथा उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 और 94 के अधीन अनुबंधों या अभिसमय में किया गया कोई भी संशोधन शामिल होगा जहां तक ये अनुबंध और संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों पर लागू हों,

§ड•§ "नामित विमानकम्पनी" पद का आशय ऐसी विमानकम्पनी §कंपनियों§ से है जिसे एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों ने दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को इस करार के अनुच्छेद-4 के अनुसार लिखकर नामित कर दिया हो, और

§च§ "विमानकंपनी", "राज्यक्षेत्र", "विमान सेवा", अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा" और "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रुकना" पदों का आशय क्रमशः वही है जो कि अभिसमय के अनुच्छेद 2 और 96 में दिया गया है ।

अनुच्छेद - 2
यातायात अधिकार

1• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को, इस करार के अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजन से इस करार में निर्दिष्ट अधिकार मंजूर करता है । इस प्रकार की सेवाएं और मार्ग एतत्पश्चात् क्रमशः "सहमत

सेवाएं" और "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहलाएंगे ।

2• इस करार के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकम्पनी को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-

§क§ बिना उतरे हुए दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र से होकर उड़ना,

§ख§ गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में रुकना,

§ग§ विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकम्पनी को यात्री, कार्गो अथवा डाक के रूप में अन्तरराष्ट्रीय यातायात दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में इस करार के अनुबंध में उस मार्ग के लिए विनिर्दिष्ट स्थल §स्थलों§ पर उतारने और चढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त होगा।

3• इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं समझा जाएगा कि एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकम्पनी को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में किसी अन्य स्थल को जाने वाले यात्री, कार्गो या डाक विमान में ले जाने का अधिकार मिल गया है ।

अनुच्छेद - 3
राष्ट्रीय विधियों और विनियमों की प्रयोज्यता

1• एक संविदाकारी पक्ष की विधियां और विनियम, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई दिक्चालन और प्रचालन में रत विमान के उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने या वहां से प्रस्थान करने अथवा उसके राज्यक्षेत्र में रहते हुए ऐसे विमानों के दिक्चालन को शासित करते हैं, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकम्पनी के विमानों पर लागू होंगे ।

2• एक संविदाकारी पक्ष की विधियां और विनियम, जो यात्रियों, कर्मीदल, कार्गो और डाक के उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने, वहां ठहरने और वहां से प्रस्थान करने से संबंधित पासपोर्ट, सीमा-शुल्क, विदेशी मुद्रा, स्वास्थ्य और संगरोध को प्रशासित करते हैं, वे दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकम्पनी के विमान द्वारा वाहित यात्रियों, कर्मीदल, कार्गो और

डाक पर उस समय लागू होंगे जब वे उक्त राज्यक्षेत्र में हों ।

अनुच्छेद - 4
विमानकंपनियों का नामन

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को, विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करने हेतु दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप में सूचित करते हुए एक या अधिक विमानकम्पनियां नामित करने का अधिकार होगा ।

2. ऐसा नामन प्राप्त हो जाने के बाद दूसरा संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) और (4) के उपबंधों के अधीन बिना विलंब के नामित विमानकम्पनी (कंपनियों) को उपयुक्त प्रचालन संबंधी प्राधिकार मंजूर करेगा ।

3. एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमानकम्पनी से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह संतुष्ट करें कि वह उन कानूनों और विनियमों के अधीन विहित शर्तों को पूरा करने के योग्य हैं जो ऐसे प्राधिकारियों द्वारा अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन पर लागू किये जाते हैं।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में उल्लिखित प्रचालन प्राधिकार मंजूर करने से इंकार करने अथवा किसी भी नामित विमानकम्पनी द्वारा अनुच्छेद-2 में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करने पर ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे। यदि उसे संतोष न हो कि उस विमानकम्पनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण विमानकम्पनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों में निहित है ।

5. इस प्रकार नामित और प्राधिकृत विमानकम्पनी किसी भी समय सहमत सेवाओं का प्रचालन शुरू कर सकती है बशर्ते कि इस अनुच्छेद और अनुच्छेद-9 तथा 11 के प्रावधानों का पालन किया गया हो ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद - 5
प्रचालन प्राधिकार को प्रतिसंहृत करना अथवा रोक देना

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को प्रचालन प्राधिकार प्रतिसंहृत करने या रोक देने अथवा इस पर ऐसी उपयुक्त शर्तें लगाने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझेः-

§क§ किसी भी ऐसे मामले में जहां यह संतुष्टि न हो कि उस विमानकम्पनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण, विमानकम्पनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या ऐसे संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रिकों में निहित है, अथवा

§ख§ यदि वह विमानकम्पनी इन अधिकारों को मंजूर करने वाले संविदाकारी पक्षों के कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने में असफल रहती है, अथवा

§ग§ यदि वह विमानकम्पनी मौजूदा करार के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रचालन करने में अन्यथा असफल रहती है

2• जब तक विधियों और विनियमों का और आगे उल्लंघन रोकने के लिए इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित शर्तों का तत्काल प्रतिसंहरण, निलम्बन अथवा आरोपण अनिवार्य न हो, ऐसे अधिकारों का प्रयोग दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श करने के बाद ही किया जाएगा । ऐसे मामलों में परामर्श के लिए किसी भी संविदाकारी पक्ष द्वारा किए गए अनुरोध की तारीख से साठ§60§ दिनों की अवधि के भीतर परामर्श शुरू होगा ।

अनुच्छेद - 6
प्रयोक्ता प्रभार

एक संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकम्पनी के विमान द्वारा हवाई अड्डों और अन्य विमानन संबंधी सुविधाओं का उपयोग करने हेतु उस पर लगाए गए प्रभार प्रथम संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकम्पनी के इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में रत विमान द्वारा अदा किए जा रहे प्रभार से अधिक नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 7
सीमा-शुल्क और अन्य शुल्कों से छूट

1. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकम्पनियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा में प्रचालित विमान और उसमें चढ़ाए गए नियमित उपस्कर, ईंधन और स्नेहकों की सप्लाई और विमान भंडार §खाद्य, पेय और तम्बाकू सहित§ पर संविदाकारी पक्षों के नियमों और विनियमों के अधीन दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने पर, सभी प्रकार के सीमा-शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य इसी तरह के प्रभारों से छूट होगी बशर्ते कि विमान में चढ़ाए गए उपस्कर और भंडार को उस समय तक रखा जाए जब तक कि उन्हें पुनः निर्यात न कर दिया जाए ।

2. निष्पादित सेवाओं के अनुरूप प्रभारों के सिवाए निम्नलिखित भी ऐसे ही शुल्कों और करों से मुक्त रहेंगे :-

§क§ किसी संविदाकारी पक्ष के प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर, उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में विमान में रखा गया भंडार, जिसका उपयोग विमान में दूसरे संविदाकारी पक्ष के विनिर्दिष्ट मार्ग पर किया जाना हो,

§ख§ किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रविष्ट अतिरिक्त पुर्जे जिनका उपयोग दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकम्पनी §कंपनियों§ द्वारा निर्दिष्ट मार्गों पर प्रयुक्त विमान के अनुरक्षण अथवा मरम्मत के लिए किया गया हो,

§ग§ दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकम्पनी §कंपनियों§ द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर प्रचालित विमान को पहले संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में सप्लाई किया गया ईंधन और स्नेहक चाहे इनका उपयोग उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के ऊपर की गई आंशिक मात्रा में किया जाना हो, जहां इसे विमान में लिया गया हो ।

ऊपर उप-पैराग्राफ §क§, §ख§ और §ग§ में उल्लिखित सामग्री को सीमा-शुल्क के पर्यवेक्षण या नियंत्रण में रखा जाना अपेक्षित होगा ।

3. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के विमान पर रखे गए नियमित उड़ानगत उपस्कर तथा सामग्री और भंडार, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, उस संविदाकारी पक्ष के

सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारे जा सकेंगे । प्रत्येक मामले में, उसे उस समय तक उक्त प्राधिकारियों के नियंत्रण में तब तक रखा जाएगा जब तक कि उसका पुनः निर्यात नहीं कर दिया जाता या सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार अन्यथा उसका निपटान नहीं कर दिया जाता ।

अनुच्छेद - 8
क्षमता संबंधी व्यवस्था

1• दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकम्पनियों को अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच निर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के प्रचालन के लिये उचित और समान अवसर उपलब्ध होंगे।

2• निर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का प्रचालन करते हुए एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकम्पनी दूसरे संविदाकारी पक्ष की विमानकम्पनी के हितों को ध्यान में रखेगी ताकि उस दूसरी विमानकम्पनी द्वारा उन्हीं मार्गों या उनके किसी हिस्से पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

3• संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहमत सेवाओं का विनिर्दिष्ट मार्गों पर लोक परिवहन की आवश्यकताओं से निकट संपर्क होगा और विमानकम्पनी नामित करने वाले राष्ट्र से भिन्न राष्ट्रों के राज्यक्षेत्र में विनिर्दिष्ट स्थलों पर विमान में चढ़ाये गए तथा उतारे गए यात्रियों, कार्गो और डाक के वहन हेतु मौजूदा एवं यथोचित प्रत्याशित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समुचित लोड फैक्टर के अनुरूप पर्याप्त क्षमता की व्यवस्था करना उसका प्रमुख उद्देश्य होगा जिसकी व्यवस्था इस सामान्य सिद्धान्त के आधार पर की जाएगी कि क्षमता निम्नलिखित से सम्बद्ध हो :-

(क) विमानकम्पनी नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में जाने वाले और वहां से आने वाले यातायात की आवश्यकताएं,

(ख) उस राज्यक्षेत्र के राष्ट्र की विमानकंपनी द्वारा निर्धारित अन्य परिवहन संबंधी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उस इलाके की यातायात संबंधी आवश्यकताएं जहां से होकर विमानकंपनी सेवाएं चलाई जाती हैं, और

सत्यमेव जयते

§ग§ सीधी विमानकंपनी के प्रचालनों की आवश्यकताएं ।

4• उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति के संबंध में दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति होगी ।

अनुच्छेद - 9
प्रचालन सूचना की व्यवस्था

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमानकम्पनी से अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, जितना पहले संभव हो, सहमत सेवाओं के शुरू होने से पूर्व, सेवा की किस्म, प्रयोग में लाए जाने वाले विमान के प्रकार, उड़ान अनुसूचियों, टैरिफ अनुसूचियों और सहमत सेवाओं के प्रचालन से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना देगी और ऐसी सूचना भी देगी जिससे वैमानिकी प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो सकें कि वर्तमान करार की सभी अपेक्षाओं का विधिवत ढंग से पालन किया जा रहा है । इस अनुच्छेद की अपेक्षाएं इसी तरह सहमत सेवाओं से संबंधित किन्हीं भी परिवर्तनों पर लागू होंगी ।

अनुच्छेद - 10
आंकड़ों की व्यवस्था

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमानकम्पनी से अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र को या वहां से होकर प्रत्येक मास के दौरान सहमत सेवाओं पर वाहित यात्रियों से संबंधित आंकड़े, जिसमें प्रारंभिक और गंतव्य स्थल तथा यात्रियों के विमान में सवार होने और उतरने के स्थल भी दिखाये गये हों, प्रस्तुत करेगी । ऐसे आंकड़े यथासंभव शीघ्र प्रत्येक मास के अंत में प्रस्तुत किए जाएंगे ।

अनुच्छेद - 11
टैरिफ

निम्नलिखित पैराग्राफों के प्रयोजन के लिए "टैरिफ" का आशय यात्रियों और कार्गो के वहन के लिए अदा की जाने वाली कीमतों और एजेन्सी एवं अन्य अनुषंगी सेवाओं की कीमतों और शर्तों सहित उन स्थितियों से है जिनके अंतर्गत ये लागू होती हैं लेकिन इसमें डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक और उससे संबंधित शर्तें शामिल नहीं हैं ।

2. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र से अथवा उसके राज्यक्षेत्र के लिए वहन किया जाने वाला टैरिफ उचित स्तरों पर निर्धारित किया जाएगा जिसमें परिचालन की लागत, उचित लाभ और अन्य विमानकम्पनियों के टैरिफों सहित सभी संगत पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा ।

3. इस अनुच्छेद के उपर्युक्त पैरा (2) में उल्लिखित टैरिफ पर, यदि संभव हो, दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकम्पनियों के बीच सहमति होगी और ऐसा करार, जहां भी संभव हो, अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ की पद्धतियों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा ।

4. इस प्रकार से सहमत टैरिफ लागू करने की प्रस्तावित तारीख से कम-से-कम नब्बे (90) दिन पहले संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे । विशेष मामलों में यदि उक्त प्राधिकारी सहमत हो तो यह अवधि घटाई जा सकती है।

5. यह अनुमोदन शीघ्र दिया जा सकता है । यदि प्रस्तुत करने की तारीख से तीस (30) दिन की अवधि के भीतर कोई भी वैमानिकी प्राधिकारी अपनी असहमति प्रकट न करे तो इस अनुच्छेद के पैरा (4) के अनुसार वे टैरिफ अनुमोदित समझे जाएंगे । जैसा कि पैरा (4) में उपबंध है, यदि टैरिफ प्रस्तुत करने की अवधि कम की जाती है तो वैमानिकी प्राधिकारी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि वह अवधि जिसके अंतर्गत कोई भी अस्वीकृति अधिसूचित की जानी है, तीस(30) दिन से कम होगी ।

6. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ(3) के अनुसार इस टैरिफ पर सहमति नहीं होती है, या यदि पैरा (5) के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी

प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को पैराग्राफ﴾3﴿ के प्रावधानों के अनुसार सहमत टैरिफ की अस्वीकृति का नोटिस देता है तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपसी सहमति से टैरिफ निर्धारण करने का प्रयास करेंगे ।

7· यदि वैमानिकी प्राधिकारी, इस अनुच्छेद के पैरा ﴾4﴿ के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किए गए टैरिफ के अनुमोदन अथवा पैरा﴾6﴿ के अंतर्गत टैरिफ के निर्धारण पर सहमत न हो सके तो इस करार के अनुच्छेद-16 के उपबंधों के अनुसार इस मामले का निपटान किया जाएगा ।

8· जब तक नए टैरिफ का निर्धारण नहीं कर लिया जाता, तब तक इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार निर्धारित टैरिफ लागू रहेगा । तथापि, इस पैरा के आधार पर टैरिफ को उस तारीख के बाद बारह﴾12﴿ महीनों से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता जिस तारीख को यह अन्यथा समाप्त हो जाता ।

अनुच्छेद - 12
अर्जित राजस्व का अंतरण

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकम्पनी को, उसके राज्यक्षेत्र में दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकम्पनी द्वारा यात्रियों, सामान, कार्गो और डाक के वहन के संबंध में अर्जित राजस्व में से व्यय के बाद बचत राशि राष्ट्रीय विधियों एवं विनियमों के अनुसार सरकारी विनिमय दर पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में अंतरित करने का अधिकार प्रदान करता है । ऐसा अंतरण यथासम्भव शीघ्र किया जाएगा ।

2· जहां संविदाकारी पक्षों के बीच विशेष भुगतान करार विद्यमान हो, वहां भुगतान उस करार के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

अनुच्छेद - 13
विमानन सुरक्षा

1· अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप संविदाकारी पक्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाई के खिलाफ नागर विमानन की सुरक्षा को बनाये रखने संबंधी उनका एक दूसरे के प्रति दायित्व इस करार का अभिन्न अंग

है । अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किये बिना संविदाकारी पक्ष विशेषकर 14 सितम्बर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित विमान पर किए जाने वाले अपराधों और कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण के अनुरोध से संबंधित अभिसमय और 23 सितम्बर, 1971 को मॉट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन की सुरक्षा के विरूद्ध गैर-कानूनी कृत्यों के निवारण से संबंधित अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे ।

2• अनुरोध किए जाने पर संविदाकारी पक्ष गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों का अभिग्रहण किए जाने की कार्रवाइयों और ऐसे विमानों, उनके यात्रियों, कर्मीदल, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं के विरूद्ध गैर-कानूनी कृत्यों तथा नागर विमानन की सुरक्षा के लिए किसी भी अन्य खतरे से बचाव के लिए एक दूसरे को सभी संभव सहायता प्रदान करेंगे ।

3• दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, उस सीमा तक अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में निर्दिष्ट नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे जहां तक वे सुरक्षा उपबंध संविदाकारी पक्षों पर लागू होते हैं, उनके पंजीकृत विमानों के प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों, जिनका व्यवसाय का प्रमुख स्थल अथवा स्थायी निवास उनके राज्यक्षेत्र में है तथा उनके राज्य राज्यक्षेत्र में, हवाई अड्डों के प्रचालकों से वे यह अपेक्षा करेंगे कि इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें ।

4• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि विमान के इस प्रकार के प्रचालकों को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश के लिए, वहां से प्रस्थान के लिये अथवा उसके अंदर उस दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अपेक्षित उपर्युक्त पैरा§3§ में उल्लिखित सुरक्षा उपबंधों का अनुपालन करना पड़ सकता है। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि विमान की सुरक्षा और विमान पर सवार होते समय अथवा लदान के दौरान यात्रियों, कर्मीदल, सामान, माल और विमान भंडार के निरीक्षण के लिए उसके राज्यक्षेत्र के अंदर प्रभावी और पर्याप्त उपाय लागू किये जाते हैं । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष खतरे से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय करने के बारे में दूसरे संविदाकारी पक्ष से प्राप्त किसी अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेगा ।

5• यदि किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी ढंग से अभिग्रहण किये जाने की घटना की

धमकी दिये जाने की कोई घटना घटती है अथवा इस प्रकार के विमान, उसके यात्रियों और कर्मीदल, हवाई अड्डों अथवा हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध कोई कृत्य किये जाते हैं तो संविदाकारी पक्ष इस प्रकार की घटना अथवा खतरे से शीघ्र निपटने के लिए संचार माध्यमों और अन्य उपायों के द्वारा एक दूसरे की सहायता करेंगे ।

6• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष ऐसे उपाय करेगा जैसे कि यह व्यवहारिक समझे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई विमान, जिसके विरूद्ध गैर-कानूनी अभिग्रहण की कार्रवाई की गई है अथवा गैर-कानूनी हस्तक्षेप की अन्य कार्रवाईयां की गई हैं, जो उसके राज्यक्षेत्र में उतरा है उसे भूमि पर रोका जाए बशर्ते उसका प्रस्थान मानवीय जीवन की सुरक्षा के अभिभावी कर्तव्य द्वारा आवश्यक न हो जाए । जब कभी व्यवहारिक हो, ऐसे उपाय आपसी परामर्श से किये जाएंगे ।

अनुच्छेद - 14
परामर्श

दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी निकट सहयोग की भावना से इस करार के प्रवर्तन और निर्वचन के लिए नियमित रूप से विचार-विमर्श करेंगे ।

अनुच्छेद - 15
संशोधन

1• दोनों संविदाकारी पक्षों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष यदि इस करार के किन्हीं उपबंधों में संशोधन करने के इच्छुक हों तो वह दूसरे संविदाकारी पक्ष से परामर्श का अनुरोध कर सकता है । ऐसा परामर्श, जो कि वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच विचार-विमर्श द्वारा अथवा पत्र-व्यवहार के जरिये हो सकता है ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिन के भीतर शुरू हो सकेगा । इस प्रकार सहमत किसी भी संशोधन को राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्टि किए जाने पर लागू किया जा सकेगा ।

2• अनुबंध में निर्दिष्ट मार्गों में संशोधन संविदाकारी पक्षों के सक्षम वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सीधी सहमति से किया जाएगा और पक्षों के आदान-प्रदान द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।

अनुच्छेद - 16
विवादों का निपटान

1• यदि इस करार के निर्वचन और प्रवर्तन के संबंध में कोई विवाद पैदा होता है तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी इसे बातचीत द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे । यदि वैमानिकी प्राधिकारी विवाद का हल करने में असमर्थ रहते हैं तो इसे समाधान हेतु संविदाकारी पक्षों के पास भेजा जाएगा ।

2• यदि संविदाकारी पक्ष बातचीत द्वारा इसका समाधान करने में असफल रहते हैं तो वे विवाद को निर्णय के लिये किसी व्यक्ति या संस्था को भेजने के लिए सहमत हो सकते हैं । यदि वे इस पर सहमत नहीं होते तो विवाद किसी भी संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर, तीन मध्यस्थों के एक न्यायाधिकरण को निर्णय के लिए सौंपा जाएगा। इन मध्यस्थों में से एक-एक दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा नामित किये जाएंगे और तीसरे की नियुक्ति दोनों मध्यस्थों द्वारा की जाएगी । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, किसी भी संविदाकारी पक्ष से राजनयिक माध्यम से विवाद की मध्यस्थता के लिये नोटिस प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिन की अवधि के भीतर एक मध्यस्थ को नामित करेगा और तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति और आगे साठ (60) दिन की अवधि के भीतर की जाएगी । यदि दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे मध्यस्थ को नामित करने में असफल रहता है, अथवा यदि तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति निर्दिष्ट अवधि में नहीं की जाती है तो दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के प्रेसीडेंट से मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामले के लिए अपेक्षित हो, की नियुक्ति के लिये अनुरोध कर सकता है । किसी भी हालत में, तीसरा मध्यस्थ किसी तीसरे राष्ट्र का राष्ट्रिक होगा और मध्यस्थता निकाय के प्रेसीडेंट के रूप में कार्य करेगा ।

3• यह मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपनी कार्यविधि, कार्य-स्थल और समय निर्धारित करेगा और न्यायाधिकरण की लागत की भागीदारी दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा बराबर-बराबर हिस्सों में की जाएगी ।

4• इस अनुच्छेद के पैरा-2 के अनुसार गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अनंतिम आदेश और निर्णय दोनों संविदाकारी पक्षों पर बाध्य होंगे ।

अनुच्छेद - 17
बहुपक्षीय हवाई अभिसमयों की प्रयोज्यता

1. जहां तक अभिसमय के उपबंध, इस करार के अधीन स्थापित हवाई सेवाओं पर लागू होते हैं, ये उपबंध करार की अवधि के दौरान संविदाकारी पक्षों के बीच लागू रहेंगे, मानो कि ये करार के अभिन्न अंग हों ।

2. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के संबंध में सामान्य बहुपक्षीय हवाई अभिसमय लागू हो तो ऐसे अभिसमय के उपबंध अधिमान्य होंगे ।

अनुच्छेद - 18
अनुबंध

इस करार के साथ संलग्न अनुबंध इस करार का हिस्सा माना जाएगा और सिवाय जहां स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्था न हो, करार से संबंधित सभी संदर्भों में अनुबंध के लिये संदर्भ भी शामिल होगा ।

अनुच्छेद - 19
पंजीकरण

यह करार और इससे संबद्ध सभी संशोधन अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद् के पास पंजीकृत किये जाएंगे ।

अनुच्छेद - 20
समाप्त करना

कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय इस करार को समाप्त करने के लिये दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित नोटिस दे सकता है । ऐसा नोटिस साथ-साथ ही अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजा जाएगा । यदि ऐसा नोटिस दिया जाता है तो यह करार, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से बारह मास बाद समाप्त हो जाएगा, बशर्ते

कि इस अवधि के पूर्व ही सहमति से समापन का यह नोटिस वापस नहीं ले लिया जाता। दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्ति सूचना न भेजे जाने की स्थिति में, यह नोटिस अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा प्राप्त किये जाने की तारीख से चौदह दिन बाद प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा ।

अनुच्छेद - 21

निरस्त करना

इस करार के लागू हो जाने के बाद, 19 फरवरी, 1968 को हस्ताक्षरित करार निरस्त हो जाएगा ।

अनुच्छेद - 22

प्रवर्तन में आना

आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के बाद, यह करार उस तारीख से प्रवर्तन में आ जाएगा जिस तारीख को संविदाकारी पक्ष एक-दूसरे को राजनयिक टिप्पणियों के माध्यम से यह अधिसूचित कर दें कि अपेक्षित संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं ।

दिनांक 9 अप्रैल, 1997 को नई दिल्ली में हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किये, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इनके निर्वचन में कोई मत-भेद होने की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

सी०एम० इब्राहिम
नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री
कृते भारत सरकार

अम्र मूसा
विदेश मंत्री
कृते मिस्र अरब गणराज्य सरकार